Account lias been withdrawn and if so, what are the details thereof; and

(b) whether some consumer groups have represented to Goveinment on this score and if so, what are the details thereof and what action has been taken or proposed to be take in this regard ?.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) and (b) The retention and pooled price mechanism operating through the Drug Price Equalisation Fund has been dispensed with under the new DPCO, 1987. This mechanism was intended to protect the interests or the indigenous industry which shall now be taken care of through direct mechanism.

Inspection wider companies act in respect of Indian Express Newspapers

877. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have since received the inspection report under Section 209 A of the Companies Act in respect of Indian Express Newspapers (Bombay) Private Limited; and

(b) if so, what action Government are taking in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRSY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) Necessary prosecution proceed ings have been initiated against M/s Indian Express Newspapers (Bombay) Private Limited, its directors and others for violation of section 187(c)(1), (2) & (5) of the Companies Act, 1956. Prosecution proceedings have also been launched under Section 628 of the said Act against the above company & its iwc directors.

Filing of declaration by Nariman Pomt Buildings Services and Trading PrivateLimited

878. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1496 given in the Rajya Sabha on the 9th March, 1987 and state:

(a) whether Government have since ex amined the matter regarding filing of dec- by Nariman Point Buildings Service-; and Trading Private Limited under Section 187(c) (1) and (2) of the Companies Act; and

(b) if so. what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) Prosecution proceedings have been initiated under Section 187(c) (1), (2) * (5) of the Companies Act against M/s. Indian Express Newspapers (Bombay) Private Limited, its directors, M/s. Nariman Point Buildings Services and Trading • Limited, its directors and against the 2 partners of the firm M/s. Traders & Services.

Leakage of Vital Information

SHRI SHARAD YADAV: SHRI VIRENDRA VERMA: SHRI J. P. GOYAL:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news items which appeared in 'The Hindustan Times' dated 18th October, 1987 wherein it was stated that there has been a leakage of vital information concerning global tenders and huge purchases running into crores of rupees in the ONGC;

(b) if so, e the details thereof; and

(c) what follow-up action has been taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM

DUTT): (a) Government has seen the news item.

(b) and (c) The insinuations made in the news report are rather general and vague and as such do not warrant any followup action. However ONGC's rules and procedures are devised to prevent malpractices.

उत्तरी जोन परिषद की बैठक

880. **श्री रशीद मसूद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी जोन परिषद की हाल ही में एक बैठक चंडीगढ़ में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय बिजली घर से आवंटित हिस्से की बिजली न मिलने के बारे में शिकायत की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

881. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** :
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई और गत उन्नीस वर्षों के दौरान एक बार भी वार्षिक कार्यक्रम क्यों नहीं पूरा किया गया;

(ख) उनके मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या कितनी है और उनके अध्यक्षों तथा सदस्यों के नाम क्या-क्या है और उनके द्वारा कितना प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है;

(ग) हिन्दी अनुभाग को छोड़कर कितने अनुभागों में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है;

(घ) क्या यह सच है कि हिन्दी अनुभागों को छोड़कर इन विभागों के किसी एक संचिका में भी हिन्दी में कार्य नहीं किया जा रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) राजभाषा अधिनियम के इन उपबंधों को लागू न किये जाने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह दत्त) : (क) मंत्रालय के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 10 सितम्बर, 1985 को इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया था । तब से इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की छह बैठकें क्रमश: 30 अक्तूबर, 1985, 13 फरवरी, 1986, 21 अगस्त, 1986, 19 फरवरी, 1987, 21 मार्च, 1987 तथा 4 नवम्बर, 1987 को हुई है ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम मंत्रालय में लागू किया जा रहा है और उसके कार्यान्वयन की सतत मानीटरिंग निरीक्षणों तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा तथा मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के मध्यम से की जाती है।

(ख) मंत्रालय तथा मंत्रालय के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है । मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हिन्दी के प्रभारी संयुक्त सचिव है और इसका गठन राजभाषा विभाग के का. ज्ञा. सं. आई/14011/17/76-रा. भा. (क-1) दिनांक 7-2 1977 में विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया गया है । मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार मंत्रालय के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों में भी इस प्रकार राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है और संबंधित कार्यालयों के प्रधान इन समितियों के अध्यक्ष है। हाल ही में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के स्थानीय गैर-सरकारी सदस्यों को भी उपक्रमों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में सहयोजित सदस्यों के रूप में नामित किया गया है । समिति के सदस्य वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुरूप हिन्दी में कार्य करते है।

(ग) इस मंत्रालय के तीन अनुभागों यथा प्रशासन अनुभाग, एल. सी. टी. कक्ष तथा पुस्तकालय को दिनांक 11 जून, 1986 को